



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
(शोध अनुभाग)

क्रमांक : आर.एस./2025/1309

दिनांक : 03/07/2025

समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक,
समस्त शैक्षणिक विभाग/केन्द्र
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषय: शोधार्थियों के शोध फीस चार्ज के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशनुसार लेख है कि विश्वविद्यालय की विवरण-पुस्तिका (Prospectus) में वर्णित शुल्क सूची (Fee Schedule) के अनुसार शुल्क की गणना शोधार्थी के डी.ओ.सी से किया जाना तथा बकाया शुल्क वर्तमान वित्तिय वर्ष के अनुसार लिया जाना नियम संगत है, अतः तदनुसार शोधार्थियों से शुल्क जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीया,

Shruti
02/07/2025

(श्रुति शेखावत)

उप-कुलसचिव (शोध)